प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 19.12.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये मा0 न्यायालय द्वारा हत्या करने वाले 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं क्रमशः 25,000/- रुपये तथा 27,500/- रु0 के अर्थदंड से के अर्थदंड से दण्डित कराया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा के नेतृत्व में थाना सैफई, मानीटरिंग सैल/सम्मन सैल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये मा0 न्यायालय द्वारा हत्या करने वाले 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं क्रमशः 25,000/- रुपये तथा 27,500/- रु0 अर्थदंड से दण्डित कराया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 29.06.2018 को वादी धर्मवीर सिंह पुत्र लाखन सिंह निवासी ग्राम नगला आछे थाना सैफई जनपद इटावा ने अभियुक्तगण द्वारा वादी के पिता लाखन सिंह की तमंचा /बन्दूक से गोली मारकर हत्या कर देने के संबंध मे तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना सैफई पर **मु0अ0सं0 147/18 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया**।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा उक्त अभियोग के संबंध मे अभियुक्तों को दण्डित कराये जाने हेतु प्रभावी पैरवी करते हुये अभियोजन के सभी गवाहों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अविलंब गवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना सैफई पुलिस टीम पैरोकार का0 गुलाब सिंह एवं मानीटरिंग/सम्मन सैल टीम व एडीजीसी श्री संजीव चतुर्वेदी द्वारा नियत तिथियों पर प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग मे आज दिनांक 19.12.2024 को **मा0 न्यायालय ADJ/FTC II इटावा** द्वारा **अभियुक्तगण रामवीर सिंह पुत्र अजब सिंह को अन्तर्गत धारा 302/34 भादवि तथा अवधेश कुमार पुत्र रामवीर सिंह को अन्तर्गत धारा 302/34 भादवि व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट मे आजीवन कारावास एवं क्रमशः 25,000/- रुपये तथा 27,500/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित कराया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **रामवीर सिंह पुत्र अजब सिंह निवासी झींगूपुर थाना सैफई जनपद इटावा।**
2. **अवधेश कुमार पुत्र रामवीर सिंह निवासी उपरोक्त।**